¹CHAPTER - IV DETERMINATION OF VALUE OF SUPPLY

Rule 27: Value of supply of goods or services where the consideration is not wholly in money

Where the supply of goods or services is for a consideration not wholly in money, the value of the supply shall,&

- (a) be the open market value of such supply;
- (b) if the open market value is not available under clause (a), be the sum total of consideration in money and any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money, if such amount is known at the time of supply;
- (c) if the value of supply is not determinable under clause (a) or clause (b), be the value of supply of goods or services or both of like kind and quality;
- (d) if the value is not determinable under clause (a) or clause (b) or clause (c), be the sum total of consideration in money and such further amount in money that is equivalent to consideration not in money as determined by application of rule 30 or rule 31 in that order.

Illustration:

(1) Where a new phone is supplied for twenty thousand rupees along with the exchange of an old phone and if the price of the new phone without exchange is twenty four thousand rupees, the open market value of the new phone is twenty four thousand rupees.

(2) Where a laptop is supplied for forty thousand rupees along with the barter of printer that is manufactured by the recipient and the value of the printer known at the time of supply is four thousand rupees but the open market value of the laptop is not known, the value of the supply of laptop is forty four thousand rupees.

www.cggst.com

¹ Chapter IV to XVI r/w Rule 27 to 138 inserted by Noti. No. 10/2017–Central Tax, dt. 28-06-2017 w.e.f. 01-07-2017.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

¹अध्याय 4 प्रदाय के मूल्य का अवधारण

नियम 27 : माल और सेवाओं की प्रदाय का मूल्य, जहां प्रतिफल धन में नहीं है

जहां माल या सेवाओं की प्रदाय ऐसे प्रतिफल के लिए है, जो पूर्णतः धन में नहीं है, वहां प्रदाय का मूल्य,

- (क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा;
- (ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल रकम और धन की ऐसी और रकम होगा, जो ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है, यदि ऐसी रकम प्रदाय के समय ज्ञात है;
- (ग) यदि प्रदाय का मूल्य खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य होगा;
- (घ) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अवर्धाय नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल राशि और धन में ऐसी और रकम होगा, जो नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से उस क्रम में यथा अवधारित ऐसे प्रतिफल के समत्ल्य है, जो धन में नहीं है।

दुष्टांत :

(1) जहां किसी फोन की प्रदाय एक पुराने फोन के विनिमय के साथ बीस हजार रूपए में की जाती है और यदि नए फोन की कीमत विनिमय के बिना चौबीस हजार रूपए है, तो नए फोन का खुला बाजार मूल्य चौबीस हजार रूपए है।

(2) जहां किसी लैपटाप की प्रदाय ऐसे प्रिन्टर की अदला—बदली के साथ चालीस हजार रूपए है, जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित है और प्रदाय के समय प्रिन्टर का ज्ञात मूल्य चार हजार रूपए है किन्तु प्रिन्टर का खुला बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है, वहां लैपटाप की प्रदाय का मूल्य चवालीस हजार रूपए हैं।

¹ अधिसूचना क्रमांक 10 / 2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2017 द्वारा अध्याय ४ से 16 सहपठित नियम २७ से 138 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।